

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

2. नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

3. नगर पालिका परिषद, गुलावटी, जनपद-बुलन्दशहर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1522/न0पा0प0मऊ/2023-24, दिनांक- 11.12.2023, पत्रांक-1521/न0पा0प0मऊ/2023-24, दिनांक- 11.12.2023 तथा पत्रांक-1014/न0पा0परि0गु0-निर्माण/ 2023-24, दिनांक- 30.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमशः नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, नगर पालिका परिषद, परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ तथा नगर पालिका परिषद, गुलावटी, जनपद-बुलन्दशहर को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रू0 241.88 लाख, रू0 826.42 लाख तथा रू0 187.81 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ एवं नगर पालिका परिषद, गुलावटी, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू0 1158.76 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं 50 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 579.38 लाख (रूपये पांच करोड़ उन्नासी लाख अड़तीस हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख रु) में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं० 03 मुहल्ला रामपुर चकिया सलेमपुर में नवनिर्मित ट्यूबवेल से हरिजन कब्रिस्तान होते हुए सुरेश के मकान तक साईडवाल, मिट्टी भराई, कवर्ड नाली एवं सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	24.38		
		2. वार्ड नं० 01 मुहल्ला गालिबपुर में रविदास मंदिर से नीरजा त्रिपाठी के मकान होते हुए मनोहर केदार व सार्वजनिक शौचालय तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	29.24		
		3. वार्ड नं० 09/11 मुहल्ला चन्द्रभानपुर/ख्वाजाजहांपुर में सेल्फी प्वाइंट से डेकुलिया घाट पुल के पास तक रोड के दोनों पटरी पर तथा शिव मंदिर तक रोड के दोनों तरफ पटरी पर रबर मोल्डेड इण्टरलाकिंग का कार्य।	29.01		
		4. वार्ड नं० 05 मुहल्ला सहादतपुरा पूर्वी के मुहल्ला रस्तीपुर में पिच रोड सुबाष के मकान से शिवधर के मकान होते हुए रामपत के मकान तक व सुमेर, दिनेश के मकान होते हुए खारभान के मकान तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	39.65		
		5. वार्ड नं० 01 मुहल्ला गालिबपुर में मुन्ना के मकान से इन्द्रदेव के मकान होते हुए श्री जयराम, अनिल के मकान से जनार्दन के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	37.63		
		6. वार्ड नं० 07 मुहल्ला परदहां किन्नूर में रामप्रीत के मकान से रामनगीना, वशिष्ठ राजभर, विरेन्द्र राजभर होते हुए श्याम के मकान तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	39.78		
		7. वार्ड नं० 09/11 मुहल्ला चन्द्रभानपुर /ख्वाजाजहांपुर में सेल्फी प्वाइंट से डेकुलिया घाट पुल के पास तक दोनों तरफ तथा शिव मंदिर रोड पर 07 मीटर लम्बे गैल्वनाइज्ड पोल सिंगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबिल के माध्यम से लगाने का कार्य 60 अदद।	42.17		
		<b>योग</b>			<b>241.88</b>
2	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं० 01 गालिबपुर एन०एच०-29 पंकज सिंह के मकान से रामबचन, सुधीर कुमार, रामजी उपाध्याय के मकान होते हुए रविदास मंदिर तक, सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	21.47		
		2. वार्ड नं० 01 गालिबपुर ज्ञान उद्यान स्कूल से लेकर सत्यानन्द सिंह के मकान होकर गोपाल सिंह के मकान तक जगह-जगह आर०सी० सी० स्लैब, सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण/मरम्मत कार्य।	25.32		
		3. वार्ड नं० 03 बढुआ गोदाम के मो० हरदासपुर में ओमप्रकाश तिवारी के मकान से श्री पारस तिवारी के मकान होते हुए श्री शंकर जी के मंदिर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	15.19		
		4. वार्ड नं० 03 बढुआ गोदाम के मो० हरदासपुर में सूर्यबली सिंह के ट्यूबवेल से नगर पालिका की सरहद स्थित पुलिया तक कवर्ड नाली, सड़क सुधार व पटरी का कार्य।	18.57		
		5. वार्ड नं० 05 सहादतपुरा पूर्वी के रस्तीपुर में श्री शंकर के मकान से सिंघासन राम के मकान होते हुए रामपत के मकान तक सी.सी. रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	24.32		
		6. वार्ड नं० 05 सहादतपुरा पूर्वी में नई बस्ती में रमाशंकर मौर्या के मकान से शिवलखन मौर्या, प्रेमनारायण सिंह व प्रदीप गुप्ता के प्लाट तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	20.31		
		7. वार्ड नं० 06 रामपुर चकिया में श्री दाऊद से मुमताज व शमसुद्दीन नसीम तक नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	12.68		

8.	वार्ड नं0 06 रामपुर चकिया मे रामवतार शर्मा के मकान से लेकर मोलवी का घर होते हुए खुशी सिलाई केंद्र होते हुए फोर लेन तक साइड वाल व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	32.70
9.	वार्ड नं0 06 रामपुर चकिया मे मदनपुरा पश्चिम हाकिम इरशाद के कारखाने से मकसूद अहमद मसीउर्रहमान होटल व हैदर टाल तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	15.98
10.	वार्ड नं0 07 परदहा में जज आवास के पास छेदी अंसारी के मकान से अशोक राय के मकान व उर्मिला देवी के मकान होते हुए बंधू सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	27.38
11.	वार्ड नं0 07 परदहा में श्री रमाशंकर पाण्डेय के मकान से अमरेन्द्र सिंह के मकान होते हुए विनोद कुमार के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	24.10
12.	वार्ड नं0 09 चन्द्रभानपुर सुंदरनगर कॉलोनी मे ज्ञानचंद कन्नौजिया के मकान से ब्रिजनाथ के मकान होते हुए मोतीचंद व डा0 महेंद्र के मकान तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	22.21
13.	वार्ड नं0 09/11 चन्द्रभानपुर/ख्वाजाजहांपुर में अशोक मिश्रा के मकान से राजेश यादव के मकान होते हुए चंदेश्वर शर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड तथा रामलक्ष्मण यादव के कच्चा बाहा तक नाली व आर0सी0सी0 पटिया का कार्य।	19.17
14.	वार्ड नं0 11 ख्वाजाजहांपुर में श्री बालचन्द्र के मकान से श्री अम्बिका गजाधर के मकान होते रामस्वरूप के मकान तक कवर्ड नाली व आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	19.01
15.	वार्ड नं0 11 ख्वाजाजहांपुर मे भामाशाह स्कूल से ममता राय, प्रमोद सिंह, गिरीशचन्द्र के मकान होते हुए शान्ति देवी के कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	22.85
16.	वार्ड नं0 12 मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा में अवधेश त्रिपाठी के मकान से एस0एन0 यादव, अशोक गुप्ता, चन्द्रशेखर तथा सुबाष मद्देशिया से राजेश कुमार के मकान सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.88
17.	वार्ड नं0 15 मुहल्ला पुरा दुर्जनराय जहांगीराबाद कॉलोनी अतुल राय के मकान से अंकुश श्रीवास्तव के मकान तक कवर्ड नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	13.25
18.	वार्ड नं0 15 मुहल्ला पुरा दुर्जनराय जहांगीराबाद कालोनी में खुशीद गल्ला के मकान से अनीस अहमद प्रधानाचार्य के मकान होते हुए शब्बीर अहमद तक कवर्ड नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	25.20
19.	वार्ड नं0 15 मुहल्ला पुरा दुर्जनराय बेलचौरा में त्रिभुवन के मकान से शिव कुमार का मकान होते हुए नारद पाण्डेय तथा गोविन्द के मकान से पिच रोड तक नाली, सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.31
20.	वार्ड नं0 16 सलाहाबाद बडी रहजनिया में लक्ष्मण यादव के प्लाट से कपूरचन्द का मकान होते हुए प्राथमिक विद्यालय रहजनिया तक कवर्ड नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	34.11
21.	वार्ड नं0 17 मुहल्ला हकीकतपुरा मंगापुर में बाई पास फोर-लेन से पारस यादव, हरिश्चन्द यादव, राजेन्द्र यादव, मुख्तार व मुबीन के मकान तक सड़क सुधार कार्य।	30.12
22.	वार्ड नं0 20 बख्तावरगंज भदेसरा में जमा के मकान से शिवनाथ का ट्यूबवेल होते हुए अभिमन्यू सिंह व गोरखपुर फोर-लेन तक सड़क सुधार का कार्य।	39.92
23.	वार्ड नं0 22 मुहल्ला इमिलिया के चांदमारी इमिलिया में सुबाष चन्द्र के मकान से सुरेन्द्र प्रजापति तथा दीनानाथ से सुधा देवी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	20.06
24.	वार्ड नं0 23 मुहल्ला इमिलिया मोहसिनपुरा (मुंशीपुरा) में अंसार के मकान से शकील का मकान होते हुए अमित जायसवाल मु0 बशीर के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	13.48

		25. वार्ड नं0 25 मुहल्ला बड़ी कम्हरिया नन्दू पोखरा में रेलवे सरहद जवाहिर के मकान से इस्लाम के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.13		
		26. वार्ड नं0 31 मुहल्ला प्यारेपुरा नई बस्ती में इकरामुल के मकान से लेयाकत के मकान तक व शकील के मकान से गुलेशर के मकान तक व समीउल्लाह के मकान से फैयाज के मकान तक नाली, पटिया व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	32.11		
		27. वार्ड नं0 34 व 06 मुहल्ला मदनपुरा पश्चिमी मे मासूम से मुस्ताज टाल, जावेद लारा, गफफार ज्याउल, मुख्तार, अंसार व फखरूदीन तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	18.42		
		28. वार्ड नं0 34 मुहल्ला डोमनपुरा पश्चिमी बाग में अंसार मरहूम के मकान से शकील का अहाता होते हुए रेयाज व इमामुदीन, अजमल, मकबूल एवं जमालुदीन के अहाता तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	20.83		
		29. वार्ड नं0 34 मुहल्ला डोमनपुरा पूर्वी बेलवा घाट में शमशाद से जावेद ग्वालियर से मोल्वी मुन्ना, नसीम, अबू सुफियान, आजाद व जावेद कलीम के मकान तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	29.99		
		30. गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर सफेद पुल के आगे से ब्रहमस्थान होते हुए गाजीपुर तिराहा तक 09 मीटर लम्बे गैल्वनाइज्ड पोल सिंगल आर्म के साथ एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट भूमिगत पाईप, केबिल के माध्यम से लगाने का कार्य।	88.54		
		31. नगर पालिका परिषद के वार्डों में विभिन्न चयनित स्थानों पर 12.5 मीटर हाईमास्ट लाईट स्थापना सहित कार्य, 10 अदद।	66.28		
		<b>योग</b>	<b>826.42</b>	<b>756.69</b>	<b>378.345</b>
<b>3</b>	<b>नगर पालिका परिषद, गुलावटी, जनपद-बुलन्दशहर</b>	1. जलभराव रोकने हेतु मण्डी गेट से जी0टी0 रोड तक सी0सी0 रोड व एक साइड में नाली निर्माण कार्य।	133.68		
		2. वार्ड सं0 19 गांधी डेयरी से जी0टी0 रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.06		
		3. नगर पालिका परिषद गुलावठी के वार्ड सं0 23 में राजवीर के मकान से नाम चर्चा तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.28		
		4. वार्ड सं0 14 मोहल्ला श्यौदल में योगेश के मकान से मेघ सिंह एवं अंजू शर्मा वाली गली में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.09		
		5. जलभराव रोकने हेतु मोहल्ला रामनगर वार्ड सं0 04 में जी0टी0 रोड से चौधरी वेदराम की कोठी तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	20.67		
		<b>योग</b>	<b>187.81</b>	<b>187.07</b>	<b>93.535</b>
		<b>महायोग(1+2+3)</b>	<b>1256.11</b>	<b>1158.76</b>	<b>579.38</b>

**नियम व शर्त/प्रतिबन्धों**


- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- (17) 'सैंटेज चार्जज निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

- (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या - 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।


3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,79,38,000 (रुपये पांच करोड़ उनासी लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-443-X-2023-24, दिनांक- 01 फरवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
  
(मो० वासिफ) 01.02.24  
अनु सचिव।

संख्या-127 /2024/आर०एफ०-967/नौ-9-2023/001-ई-1730745, तद दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, मऊ, एवं बुलन्दशहर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी०एम०यू० यूनिट, नगर विकास विभाग ।
11. गार्ड फाइल।

अज्ञा से,  
  
(मो० वासिफ) 01.02.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-01/02/2024

प्रेषण संख्या:- 127  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-127-2024-RF967-9-9-2023-001-E-1730745  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9353500 19092500	9353500 19092500
2	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	48584500 92222500	48584500 92222500
	योग	वर्तमान प्रगामी	57938000 111315000	57938000 111315000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ उन्नासी लाख अड़तीस हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव